न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :192 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 314)

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. अरविन्द सिंह पुत्र जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 01.10.2024

उपस्थित: 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– **दिनांक : 20.06.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 40 एफ, पटवार हल्का धरिगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2074 के खाता संख्या 134/42 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 17 ता 25 की कुल 2.277 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में किला नम्बर 20, 21 की भूमि बारानी दर्ज है। जबकि चक 40 एफ के मुरब्बा नम्बर 15 की सिंचाई विभाग सी.सी.ए. रिकॉर्ड के अनुसार 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि नहरी हानो दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 15 की उक्त बारानी भूमि पूर्व में हमारे पूर्वजों द्वारा खरीद की गई है तथा नहरी भूमि की राशि उस समय के अलॉटी द्वारा जमा करवा कर कब्जा मय पानी की बारी के सौप दिया था। परन्तु चालू जमाबन्दी में उक्त भूमि बारानी दर्ज है, को दुरूस्त कर नहरी दर्ज किया जाना न्याय संगत है। आज से करीब 10 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी से उक्त संशोधन करने के लिए कहा तो प्रतिवादी तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने को कहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 40 एफ, पटवार हल्का धरिगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2074 के खाता संख्या 134/42 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 20, 21 की 0.506 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 589 दिनांक 23.05.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 40 एफ, पटवार हल्का धरिगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2074 के खाता संख्या 134/42 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 17 ता 25 की कुल 2.277 हैक्टेयर नहरी/ बारानी भूमि अरविन्द सिंह पुत्र जलन्धर सिंह के नाम खातेदार दर्ज है। मुताबिक सीसीए रिकॉर्ड एंव कार्यालय जल संसाधन उतरखण्ड श्रीगंगानगर के नकल क्रमांक 748 दिनांक 22.03.2024 के अनुसार चक 40 एफ के मुरब्बा नम्बर 15 के 24 बीघा 10 बिस्वा रकबा कमाण्ड है। पटवारी 2 एम एम धरिगावाली की रिपोर्ट अनुसार चक 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 134/42 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 20, 21 नहर द्वारा सिंचित है। कार्यालय हाजा के बीआर रजिस्टर 2 बी अनुसार राजस्थान भू–राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत पटवार मण्डल 2 एम एम धरंगावाली के चक 40 एफ के मुरब्बा नम्बर 15 के 25 बीघा रकबा आवंटित हुआ। अतः राजस्थान उपनिवेशन नियम 1956 के नियम 7 (क) के अनुसार आवंटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिचिंत होने पर देय अन्तरराशि देय नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 40 एफ, पटवार हल्का धरिगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2074 के खाता संख्या 134 / 42की प्रति, सीसीए चक प्लान 40 एफ की छायाप्रति, खसरा गिरदावारी की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 40 एफ, पटवार हल्का धरिगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2074 के खाता संख्या 134 / 42 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 20, 21 की 0.506 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के नकल क्रमांक 748 दिनांक 22.03.2024 की सीसीए तस्दीक मुताबिक चक 40 एफ के मुरब्बा नम्बर 15 के 24 बीघा 10 बिस्वा रकबा कमाण्ड है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 40 एफ के मुरब्बा नम्बर 15 के 24 बीघा 10 बिस्वा रकबा कमाण्ड है। पटवारी 2 एम एम धरिगावाली की रिपोर्ट अनुसार चक 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 134 / 42 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 20, 21 नहर द्वारा सिंचित है। कार्यालय हाजा के बीआर रजिस्टर 2 बी अनुसार राजस्थान भू–राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत पटवार मण्डल 2 एम एम धरंगावाली के चक 40 एफ के मुरब्बा नम्बर 15 के 25 बीघा रकबा आवंटित हुआ। अतः राजस्थान उपनिवेशन नियम 1956 के नियम 7 (क) के अनुसार आवंटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिचिंत होने पर देय अन्तरराशि देय नहीं है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 40 एफ, पटवार हल्का धरिगावाली, भू.अ. नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2074 के खाता संख्या 134 / 42 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 20, 21 की 0.506 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

अरविन्द सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 192/2024

निर्णय दिनांक :- 20.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 40 एफ, पटवार हल्का धरिगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2074 के खाता संख्या 134/42 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 20, 21 की 0.506 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 20.06.2025

क्रमांक: रीडर/2025/412

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर